दिनांक 17.01.2025
प्रेस विज्ञप्ति 26/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के निर्देशन में साइबर क्राइम मुख्यालय द्वारा तैयार ''उ0प्र0 पुलिस की साइबर वेबसाइट'' की लॉचिंग

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांकः 17.01.2025 को अपर पुलिस महानिदेशक, साइबर क्राइम के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम मुख्यालय द्वारा तैयार की गयी ''उ0प्र0 पुलिस की साइबर वेबसाइट'' की लॉचिंग की गयी।

उत्तर प्रदेश पुलिस की साइबर वेबसाइट एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन प्लेटफार्म है, जो आम नागरिकों तथा पुलिस को ध्यान में रखते हुए साइबर सुरक्षा से सम्बन्धित जानकारी, संसाधन तथा सेवायें प्रदान करने हेतु तैयार की गयी है। वेबसाइट उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट uppolice.gov.in से भी लिंक है। वेबसाइट का लिंक cyberpolice.uppolice.gov.in है, जिसके मुख्य पृष्ठ पर Citizen centric से सम्बन्धित निम्न लिंक प्रदर्शित हैं–

- साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 कॉल करने हेतु
- साइबर अपराध सम्बन्धी शिकायत दर्ज करने हेतु www.cybercrime.gov.in
- भारतीय साइबर क्राइम समन्वय केन्द्र की वेबसाइट https://i4c.mha.gov.in
- साइबर अपराध शिकायत की स्थिति जानने हेतु
- मोबाइल नम्बर के खोने/चोरी होने पर नम्बर को ब्लाक आदि कराने हेतु CEIR
- सदिग्ध तथा धोखाधड़ी वाली कॉल को रिपोर्ट करने हेतु Chakshu
- अपनी आईडी से सम्बन्धित मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी करने हेतु Tafcop
- साइबर जागरुकता से सम्बन्धित सामग्री को देखने हेतु ISEA
- वित्तीय अनियमिताओं सम्बन्धी शिकायत हेतु RBI का Sachet Portal
- विदेश भेजने वाले वैध तथा अवैध भर्ती एजेन्टों (Recruiting Agents) की जानकारी हेतु emigrate
- साइबर जागरुकता तथा समाचार से सम्बन्धित सोशल मीडिया प्लेटफार्म लिंक
- सोशल मीडिया से सम्बंधित विभिन्न प्लेटफार्मों सम्बंधी शिकायतों (Hack/Fake accounts) हेतु Citizen Centric रिपोर्टिंग लिंक
- महाकुम्भ–2025 सम्बंधी महत्वपूर्ण जानकारियां

उक्त के अतिरिक मुख्य डैशबोर्ड के माध्यम से सुरक्षा उपायों तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं तक पहुंचने हेतु विभिन्न category के अन्तर्गत लिंक प्रदर्शित किये गये जिनका विवरण निम्न है।

1— About us— इसके माध्यम से हम साइबर क्राइम मुख्यालय का संगठनात्मक ढांचा तथा साइबर क्राइम थानों की स्थापना आदि के सम्बन्ध में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

2— Nodal/Cyber Crime Police station— इसके माध्यम से प्रदेश के 75 जनपदों के साइबर नोडल (राजपत्रित अधिकारी) तथा सभी साइबर क्राइम थानों के प्रभारी निरीक्षकों के मोबाइल नम्बर व मेल आईडी प्राप्त कर सकते हैं।

3— Awareness— इसके माध्यम से साइबर अपराध से बचाव सम्बन्धी कन्टेन्ट (ऑडियो, वीडियो, पोस्टर्स) आदि देख सकते हैं।

4— Act & Rules— इसके माध्यम से साइबर अपराध की रोकथाम हेतु प्रचलित IT- Act, IT Rules, DPDP Act, BNS, BNSS, BSA आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

5— Cyber Literature इसके माध्यम से साइबर मुख्यालय द्वारा प्रकाशित की जाने वाली साप्ताहिक साइबर Digest तथा जागरूकता से सम्बंधित मैगजीन प्राप्त कर सकते हैं। सकते हैं।

6— Gallery—इसके माध्यम से पुलिस मुख्यालय तथा 75 जनपदों द्वारा अपलोड की फोटो व वीडियो प्रदर्शित होंगी।

7— For Official Use—इसके माध्यम से पुलिस अधिकारियों को साइबर सम्बंधी डीजी परिपत्रों तथा जांच/विवेचना, प्रशिक्षण में सहायक समन्वय, सहयोग, प्रतिबिम्ब, साइबर सेफ, Header information portal, cytrain आदि पोर्टल के लिंक प्राप्त होंगे।

8— Press Release— इसके माध्यम से साइबर क्राइम मुख्यालय तथा समस्त जनपदों द्वारा लॉगिन करके साइबर अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही तथा जागरूकता से सम्बंधित प्रेस नोट आदि अपलोड किये जायेंगे।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा वेबसाइट की लांचिंग के दौरान अपने संबोधन में कहा गया कि साइबर क्राइम से निपटने के लिये सभी जिलों में साइबर क्राइम थाना खोला गया है तथा सभी थानों पर भी हेल्प डेस्क की स्थापना भी की गयी है हमारा प्रयास होना चाहिये कि थानों तथा डेस्क पर ट्रेंड कर्मी नियुक्त होने चाहिये। साइबर वेबसाइट का मोटो है कि साइबर इको सिस्टम को मजबूत किया जाये। हमारे पास फारेंसिक साइन्स का एक विश्वस्तरीय इन्स्टीटयूट भी है, जिसमें बहुत जानकार

तथा विशेषज्ञ लोग तैनात हैं जिनके सहयोग से जोन, रेन्ज व जिले स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया जा सकता है तथा अधिक से अधिक अवेयरनेस कार्यक्रम भी हर स्तर पर आयोजित किये जाने चाहिये। सभी स्तर पर पूर्व में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम व जागरूकता अभियान चलाये जा चुके हैं। अब साइबर क्राइम के केस लगातर बढ़ते जा रहे हैं, जिससे निपटने के लिये प्रशिक्षित व ट्रेंड कर्मियों की अधिक से अधिक आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के पास संसाधन व मैन पावर की कोई कमी नहीं है, जिसके माध्यम से हम साइबर क्राइम से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं।

इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था, अपर पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवायें, अपर पुलिस महानिदेशक/निदेशक यू0पी0एस0आई0एफ0एस0, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण उपस्थित रहे।

दिनांक 17.01.2025
प्रेस विज्ञप्ति 27/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 की एन0एस0जी0 के महानिदेशक से शिष्टाचार भेंट

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 से आज दिनांक 17.01.2025 को पुलिस मुख्यालय लखनऊ में **श्री बी0 श्रीनिवासन** महानिदेशक एन0एस0जी0 (National Security Gaurd) द्वारा शिष्टाचार भेंट किया गया

मुलाकात के दौरान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 व महानिदेशक एन0एस0जी0 के मध्य उत्तर प्रदेश पुलिस और एन0एस0जी0 के बेहतर समन्वय, सामरिक महत्व एवं महाकुम्भ–2025 के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गयी तथा प्रतीक चिन्ह भेंट किये गये।

UTTAR PRADESH POLICE

दिनांक 17.01.2025
प्रेस विज्ञप्ति 28/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सोनभद्र/थाना रॉबर्टसगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 16 हजार 500 रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 17.01.2025 को थाना रॉबर्टसगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हिन्दुआरी से हिनौता मार्ग पर मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–साहिल 2–राहुल उर्फ आलोक घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 16 हजार 500 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 04.01.2024 को थाना रॉबर्टसगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रॉबर्टसगंज पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे, गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना रॉबर्टसगंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रॉबर्टसगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–साहिल निवासी गौरा कला लखराव थाना चौबेपुर कमिश्नरनेट वाराणसी।

2–राहुल उर्फ आलोक निवासी मेहगांव थाना राजा तालाब कमिश्नरेट वाराणसी।

बरामदगी

1–लूट के 16 हजार 500 रूपये नगद।

2–02 मोबाइल फोन।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद बस्ती/थाना छावनी

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 17.01.2025 को थाना छावनी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर छितौना के पास बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त भीम उर्फ नौशाद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बस्ती, अयोध्या के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना छावनी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना छावनी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—भीम उर्फ नौशाद निवासी शेखपुर थाना रौनाही जनपद अयोध्या।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद एटा/थाना जैथरा

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **07 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 06 कुन्तल 50 किलोग्राम विद्युत तार**
- **01 लाख 25 हजार रूपये नगद**
- **विद्युत तार चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण**
- **घटना में प्रयुक्त 01 पिकअप वाहन आदि बरामद**

दिनांक 17.01.2025 को थाना जैथरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 07 अभियुक्तों 1—गौरव 2—विष्णू 3—रोहित 4—शिवकुमार 5—जितेन्द्र कुमार 6—शाकिर 7—अमन कुमार को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 06 कुन्तल 50 किलोग्राम विद्युत तार, 01 लाख 25 हजार रूपये नगद, विद्युत तार चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण, घटना में प्रयुक्त 01 पिकअप वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 15.01.2025 को थाना जैथरा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जैथरा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद विद्युत तार आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना जैथरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—गौरव निवासी बैगलपुर थाना कम्पिल जनपद फर्रूखाबाद।

2—विष्णू निवासी धनीपुर मंडी थाना गांधीपार्क जनपद अलीगढ।

3—रोहित निवासी घुसूपुरा थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी।

4—शिवकुमार निवासी मौ0 नेहरूनगर कस्बा व थाना जैथरा जनपद एटा।

5—जितेन्द्र कुमार निवासी मौहल्ला बढैयान कस्बा व थाना जैथरा जनपद एटा।

6—शाकिर निवासी भुजपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद अलीगढ।

7—अमन कुमार निवासी घुसूपुरा थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी के 06 कुन्तल 50 किलोग्राम विद्युत तार।

2—01 लाख 25 हजार रूपये नगद।

3—विद्युत तार चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण।

4—घटना में प्रयुक्त 01 पिकअप वाहन आदि।

<u>जनपद शाहजहॉपुर/थाना रोजा</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के ट्रान्सफार्म का स्कैप लोहा व ताबा**
- **घटना में प्रयुक्त टाटा सफारी वाहन**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर मय खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 17.01.2025 को थाना रोजा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर उदियापुर नहर पटरी पर पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 1—सूरज घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—अर्जुन 3—छोटू 4—विष्णु 5—पवन कुमार सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के ट्रान्सफार्म

का स्क्रैप लोहा व ताबा, घटना में प्रयुक्त टाटा सफारी वाहन, 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सूरज के विरूद्ध जनपद शाहजहॉपुर, बाराबंकी, कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के 13 अभियोग, अभियुक्त अर्जुन के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ, जनपद शाहजहॉपुर, बाराबंकी के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के 13 अभियोग, अभियुक्त छोटू के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ, जनपद शाहजहॉपुर, खीरी के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त पवन कुमार के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ, शाहजहॉपुर, बाराबंकी के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना रोजा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सूरज निवासी ग्राम उमरा थाना सिंगाही जनपद लखीमपुर खीरी।

2—अर्जुन निवासी कस्बा व थाना तिकोनिया जनपद लखीमपुर खीरी।

3—छोटू निवासी ग्राम पुरैना थाना निघासन जनपद लखीमपुर खीरी।

4—विष्णु निवासी कस्बा व थाना तिकोनिया जनपद लखीमपुर खीरी।

5—पवन कुमार निवासी ग्राम पुरैना थाना निघासन जनपद लखीमपुर खीरी।

बरामदगी

1—चोरी के ट्रान्सफार्म का स्क्रैप लोहा व ताबा।

2—घटना में प्रयुक्त टाटा सफारी वाहन।

3—01 अवैध तमंचा 12 बोर मय खोखा कारतूस।

जनपद हरदोई/थाना मंझिला

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 07 पम्पिंग सेट**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 17.01.2025 को थाना मंझिला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 03 अभियुक्तों 1–शिवम 2–रामबहादुर 3–रामसिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 07 पम्पिंग सेट, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि थाना मंझिला क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मंझिला पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद पम्पिंग सेट चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मंझिला पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शिवम निवासी बेंदुआ थाना मंझिला जनपद हरदोई।

2–रामबहादुर निवासी–नरहाई थाना शाहाबाद जनपद हरदोई।

3–रामसिंह निवासी ग्राम पुरैना थाना जलालाबाद जनपद शाहजहॉपुर।

बरामदगी

1–चोरी के 07 पम्पिंग सेट।

2–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

जनपद बांदा/थाना अतर्रा

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 कुन्तल 66 किलो 650 ग्राम अवैध गांजा**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 16/17.01.2025 को थाना अतर्रा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम खम्हौरा के पास से 02 अभियुक्तों 1–रणधीर 2–नग्गू को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 कुन्तल 66 किलो 650 ग्राम अवैध गांजा, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना अतर्रा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रणधीर निवासी खम्हौरा थाना अतर्रा जनपद बांदा।

2–नग्गू निवासी खम्हौरा थाना अतर्रा जनपद बांदा।

बरामदगी

1–01 कुन्तल 66 किलो 650 ग्राम अवैध गांजा।

2–01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद बलिया/थाना कोतवाली

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 40 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 200 ग्राम अवैध हिरोइन**
- **नगद रूपये, 05 मोबाइल फोन**
- **01 स्कॉर्पियों वाहन आदि बरामद**

दिनांक 17.01.2025 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जनेश्वर मिश्र सेतु के पास चेकिंग के दौरान 05 अभियुक्तों 1–पिंटू कुमार 2–अरविन्द कुमार 3–लवकुश 4–मुन्ना कुमार 5–विकास कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 40 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 200 ग्राम अवैध हिरोइन, नगद रूपये, 05 मोबाइल फोन, 01 स्कॉर्पियों वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–पिंटू कुमार निवासी वार्ड नं0–14 थाना बिहियां जनपद भोजपुर (आरा) बिहार।

2–अरविन्द कुमार निवासी वार्ड नं0–12 थाना बिहियां जनपद भोजपुर (आरा) बिहार।

3–लवकुश निवासी विशनपुरा वार्ड नं0–12 थाना उदवन्तनगर जनपद भोजपुर (आरा) बिहार।

4–मुन्ना कुमार निवासी चन्दवा वार्ड नं0–14 थाना नवादा जनपद भोजपुर (आरा) बिहार।

5–विकास कुमार निवासी धराहरा वार्ड नं0–08 थाना बिहियां जनपद भोजपुर (आरा) बिहार।

बरामदगी

1–लगभग 40 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 200 ग्राम अवैध हिरोइन।

2–नगद रूपये, 05 मोबाइल फोन।

3–01 स्कॉर्पियों वाहन आदि।

- **जनपद फतेहपुर/थाना बिंदकी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 28–28 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना बिंदकी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–हेमराज 2–ननकू उर्फ शिव प्रकाश को आजीवन कारावास व 28–28 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद मऊ/थाना मुहम्मदाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद मऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मऊ द्वारा थाना मुहम्मदाबाद पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त जितेन्द्र को धारा 302/201 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त विरजू को धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हाथरस/थाना सादाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हाथरस पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हाथरस द्वारा थाना सादाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राजन को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना देवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना देवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त गंगाराम को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना कछौना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना कछौना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट व 3/25, 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रक्षपाल को आजीवन कारावास व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बांदा/थाना जसपुरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 08–08 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना जसपुरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/316/498ए भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रविकरन 2–अभियुक्ता को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास व 08–08 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एसटीएफ–दिनांक 28–06–2023 को थाना कोतवाली कन्नौज में घटित डकैती की घटना में वांछित घुमन्तु आपराधिक गिरोह का सक्रिय सदस्य एवं रू0 1,00,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त कैलाश पारदी, एस0टी0एफ0 से हुई मुठभेड में गिरफ्तार।

उत्तर प्रदेश एसटीएफ को दिनांक 16–01–2025 को थाना कोतवाली, जनपद कन्नौज में दिनांक 28–06–2023 को इत्र व्यापारी के घर में घुसकर कारित की गयी डकैती की घटना के सम्बन्ध मे पंजीकृत मु0अ0सं0 446/23 धारा 395/412 भादवि में वांछित घुमन्तु आपराधिक गिरोह का सक्रिय सदस्य एवं रू0 1,00,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी कैलाश पारदी को मुठभेड के बाद़ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई ।

अभियुक्त का विवरणः–

कैलाश पारदी पुत्र सुखदेव निवासी ओरनदी, थाना पिपरई, जनपद गुना, मध्य प्रदेश।

बरामदगी–

1– 01 अदद तमंचा 315 बोर

2– 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

3– 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनाँक, समयः–

दिनाक 16–01–2025, समय 23.05 बजे, मुख्य सड़क, भरतपुर रोड से ग्राम अडूकी के पास थाना हाईवे, जनपद मथुरा क्षेत्र ।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा के पर्यवेक्षण मे एवं श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में उप निरीक्षक श्री अवध नारायण चौधरी/उप निरीक्षक श्री दीपक कुमार, एसटीएफ फील्ड इकाई, नोएडा द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान एसटीएफ गौतमबुद्धनगर की टीम दिनांक 16–01–2025 को अपराधियों की पतारसी–सुरागरसी हेतु जनपद मथुरा में भ्रमणशील थी कि उसी दौरान एस0टी0एफ0

नोएडा की टीम को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि घुमन्तु आपराधिक गिरोह का सक्रिय सदस्य एवं थाना कोतवाली कन्नौज के मु0अ0सं0 446/23 धारा 395/412 भादवि के अभियोग में वांछित रू0 1,00,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी कैलाश पारदी अपने साथी के साथ मथुरा भरतपर रोड पर कालोनियों में चोरी करने के उद्देश्य से आया हुआ है। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त एसटीएफ नोएडा की टीम द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए थाना हाईवे जनपद मथुरा की पुलिस के सहयोग से अभियुक्त कैलाश पारदी, उपरोक्त को मुठभेड के पश्चात उक्त स्थल से गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई। मुठभेड़ के उपरान्त घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त कैलाश पारदी ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 54 साल है और वह पढ़ा लिखा नही है तथा वह मूलरूप से गुना मध्य प्रदेश का रहने वाला है। बताया कि इस आपराधिक गिरोह के लोग अपना नाम बदल–बदल कर देश भर में घूम–घूमकर शहरों में डेरे डालकर रहते हैं। इस गिरोह के लोग रात में मकानों में चोरी, डकैती, लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं और जाग हो जाने पर अथवा विरोध होने पर हमला करके गृह स्वामियों को घायल भी कर देते हैं और एक स्थान पर वारदात करने के पश्चात दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। बताया कि उसको वर्ष 2009 में गुना मध्य प्रदेश की पुलिस द्वारा अवैध असलाह के साथ पकडा गया था, जिसमें वह जेल गया था। जेल से छूटने के उपरान्त उसने अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर चोरी, लूट, डकैती की घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया था। बताया कि उसकी छोटी बहन छम्मा की शादी सूरज पारदी की बहन के लड़के से हुयी है, जो उसकी रिश्तेदारी में आता है। इस घटना को कारित करने के लिए सूरज पारदी ने सब लोगों को एकत्र किया था। अभियुक्त कैलाश पारदी ने यह भी बताया कि इस घटना को कारित करने में गैंग के अन्य सदस्य विक्की पारदी, जो उसके गॉव के पास का रहने वाला है, जो उसका पूर्व से परिचित था तथा चप्पड पारदी एवं बलाडा पारदी की उसके गॉव में रिश्तेदारी है, इसलिए वह इन लोगों से पूर्व से ही परिचित है ।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त कैलाश पारदी ने अपने गिरोह के सरगना सूरज पारदी एवं गैंग के सदस्य बलाडा पारदी एवं चप्पड पारदी आदि के साथ मिलकर दिनांक 28–06–2023 को थाना कोतवाली कन्नौज क्षेत्र में एक प्रसिद्व इत्र व्यसायी के घर में घुसकर सोने, चॉदी के जेवरात एवं 07 लाख 30 हजार रूपये तथा एक लाईसेन्सी रिवाल्वर को लूट लिया गया था। इस सनसनीखेज घटना के

सम्बन्ध में थाना कोतवाली कन्नौज पर मु0अ0स0 446/23 धारा 395/412 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था और इसी अभियोग में अभियुक्त कैलाश पारदी वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर के स्तर से दिनांक 30–09–2024 को रू0 1,00,000/– का पुरस्कार घोषित हो रखा था। इस घटना में लूटी गयी लाईसेन्सी रिवाल्वर को पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार किये गये अपराधीगण से बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त कैलाश पारदी द्वारा की गयी अन्य घटनाओं के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

<u>अभियुक्त कैलाश पारदी, उपरोक्त के विरूद्व निम्न अभियोगों का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है–</u>

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	नाम थाना	जनपद
1	512/09	25 आर्म्स एक्ट	गुना	मध्य प्रदेश
2	446/23	395/412 भादवि	कोतवाली	कन्नौज
3	549/24	310(4), 310(5), 109 बी0एन0एस0	कोतवाली	कन्नौज
4	49/24	109(1) बीएनएस एवं 3/25/27 आर्म्स एक्ट	हाईवे	मथुरा

गिरफ्तार अभियुक्त कैलाश पारदी उपरोक्त के विरूद्व थाना हाईवे जनपद मथुरा पर मु0अ0सं0: 49/24 धारा 109(1) बीएनएस एवं 3/25/27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

<u>एसटीएफ–विभिन्न कम्पनियों के मोबाइल/वाई–फाई टावर लगाने के नाम पर करोड़ों रूपये की ठगी करने वाले गिरोह के सरगना सहित 05 सक्रिय सदस्य लखनऊ से गिरफ्तार।</u>

दिनांक 16–01–2025 को एसटीएफ उत्तर प्रदेश को विभिन्न कम्पनियों के मोबाईल/ वाई–फाई टावर लगाने के नाम पर करोड़ो की ठगी करने वाले गिरोह के सरगना 05 सक्रिय सदस्यों को जनपद–लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण</u> :–

1– सुनील श्रीवास्तव पुत्र स्व0 सुरेन्द्र लाल श्रीवास्तव निवासी ग्राम तेन्दुआवारी, थाना गौरी बाजार, जनपद देवरिया।

2— अजय कुमार सिंह पुत्र विभूति सिंह, निवासी ग्राम तेन्दुआवारी, थाना गौरी बाजार, जनपद देवरिया।

3— अतीउल्लाह अंसारी पुत्र स्व0 रमजान, निवासी ग्राम तेन्दुआवारी, थाना गौरी बाजार, जनपद देवरिया।

4— पदुम नाम दूबे पुत्र मारकण्डेय दूबे निवासी ग्राम तेन्दुआवारी, थाना गौरी बाजार, जनपद देवरिया।

5— गंगेश्वर पाण्डेय उर्फ गोलू पाण्डेय पुत्र उमेष पाण्डेय निवासी ग्राम सेमरा थाना कसया, जनपद कुशीनगर।

बरामदगी–

1— 08 अदद मोबाइल फोन।

2— नगद 13,200/—

3— 06 अदद रिलायंस जिओ इंफो0 लि0 के एम0डी0 की ओर से जारी जिओ वाईफाई/मोबाइल टावर का कन्फर्मेषन लेटर।

4— 01 अदद ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती का मोबाइल टावर लगवाने हेतु आवेदन पत्र।

5— 01 अदद भारत वाईफाई कम्पनी के एमडी की ओर से जारी कूटरचित एनओसी।

6— 01 अदद भारत सरकार व गवर्मेन्ट आफ इण्डिया की ओर से जारी कूटरचित एनओसी।

7— 03 अदद ड्राइविंग लाइसेन्स।

8— 01 अदद वोटर आईडी।

9— 07 अदद एटीएम कार्ड।

10— 03 अदद मुहर विभिन्न पदनाम की।

11— 01 अदद क्रेटा कार नं0 यूपी 32 एनएक्स 4445

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय :–

रामकथा पार्क विदर्भ खण्ड, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ। दिनांक 16—01—2025 समय 20:30 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से विभिन्न मोबाईल कम्पनियों के टावर एवं वाई–फाई टावर लगवाने के नाम पर ग्राम प्रधानों एवं सम्भ्रान्त व्यक्तियों लोगों को फोन करके कूटरचित दस्वातेज के आधार पर ठगी करने वाले सक्रिय गिरोह के सम्बन्ध में सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री प्रमेश कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में उ0नि0 श्री जावेद आलम सिद्दीकी के नेतृत्व में मु0आ0 मृत्युन्जय सिंह, कवीन्द्र साहनी, बीर प्रताप, आरक्षी अजीत सिंह, चालक राकेष मिश्र की टीम भ्रमणशील थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि विभिन्न कम्पनियों का मोबाइल टावर एवं वाई–फाई टावर लगवाने के नाम पर ठगी से सम्बन्धित मु0अ0सं0 140/2024 धारा 420/406 भादवि व 66डी आईटी एक्ट का अभियोग थाना आदमपुर, जनपद अमरोहा में पंजीकृत है। उक्त अभियोग की तकनीकी विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि इसी गिरोह के सदस्यों द्वारा श्री प्रेम बाबू पुत्र रमेश कुमार निवासी पूरे मियॉ मजरे सहमदा, थाना डलमऊ, जनपद रायबरेली से भी ठगी की गयी है। जिसके सम्बन्ध में थाना–डलमऊ, जनपद रायबरेली में मु0अ0सं0 0371/2024 पंजीकृत है। इसी दौरान मुखबिर के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि मोबाइल टावर एवं वाई–फाई टावर लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के कुछ सदस्य गोमतीनगर, लखनऊ में किसी से मिलने आने वाले है, जो उपरोक्त अभियागों से सम्बन्धित भी है। प्राप्त सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा थाना डलमऊ, रायबरेली में पजीकृत अभियोग के विवेचक से सूचना साझा करते हुए उनको साथ लेकर रामकथा पार्क विदर्भखण्ड, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ के पास से आवष्यक बल प्रयोग करते हुए उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तो ने पूछताछ पर बताया कि उनका एक गिरोह है, जो प्रदेश के अलग–अलग जनपदो में ग्राम प्रधानों एवं सम्भ्रान्त व्यक्तियों को फोन के माध्यम से व रजिस्टर्ड पत्र भेजकर उनसे विभिन्न कम्पनियों के मोबाइल/वाई–फाई टावर लगवाने की

बात कहकर 20–30 लाख रूपये एडवांस मनी, परिवार के एक व्यक्ति को रू0 25 हजार प्रति माह की नौकरी एवं जगह के किराये के तौर पर रू0 25 हजार प्रति माह मिलने का प्रलोभन देते है। सम्बन्धित व्यक्ति के तैयार हो जाने पर उससे पंजीकरण शुल्क के रूप में 780/– रूपये, प्रोसेसिंग चार्ज के तौर पर 15–20 हजार रूपये जमा कराते है। साथ ही 20–30 लाख रूपये की एडवांस धनराशि को बैंक से रिलीज कराने हेतु सम्बन्धित बैंक के मैनेजर के नाम पर एडवांस मनी पर 1–5 प्रतिशत कमिशन जमा कराते है तथा धीरे–धीरे कमिशन का प्रतिशत तब तक बढ़ाते रहते है जब तक कि सम्बन्धित व्यक्ति पैसा जमा करना बन्द नहीं कर देता है। इसके उपरान्त अपना फोन बन्द कर देते है। इसी अवधि में गिरोह के अन्य सदस्य आवेदक को भारत सरकार/बीएसएनएल द्वारा जारी कूटरचित अनापत्ति प्रमाण पत्र, सम्बन्धित मोबाइल कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित एनओसी व कन्फर्मेशन लेटर भेज कर आस्वस्त करते रहते है जिससे वह ठगी का शिकार बनता है। गिरोह वर्ष–2013 से निरन्तर सक्रिय है, जिसके सदस्यो के विरूद्ध जनपद–प्रतापगढ़, सीतापुर सहित अन्य कई जनपदों में भी अभियोग पंजीकृत है। जिसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना डलमऊ, जनपद रायबरेली में पंजीकृत थाना–डलमऊ, जनपद रायबरेली में मु0अ0सं0 0371/2024 धारा 317(2), 317(4) 336(3), 338, 340(2), 3(5) बीएनएस में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही सम्बन्धित विवेचक द्वारा की जा रही है।

————